न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 189/2023

बलकरण सिंह बनाम अवतार सिंह

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता, सपठित धारा 151 सी. पी.सी.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादी सं.1 व 2
2. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::– दिनांक :– 26.07.2024

वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी बलकार सिंह की ओर से श्री मान न्यायालय मे उक्त अनवान का वाद इस आश्य का पेश किया है कि चक 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 55/34, मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1, 2, 9,10, 11 प्रत्येक सालम एवम् किला नम्बर 12/2 की 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 20/2 की 0.1900 हैक्टेयर एवम् मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 21, 22, 23 सालम, किला नम्बर 24/1 मे 0.0210 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 42 मे किला नम्बर 1 मे 0.288 हैक्टेयर किला नम्बर 2 मे 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 3/1 मे 0.165 हैक्टेयर, किला नम्बर 8/1 मे 0.180 हैक्टेयर, किला नम्बर 9, 10, 11, 12 सालम, 13/1 मे 0.180 हैक्टेयर, 18/1 मे 0.180 हैक्टेयर, किलानम्बर 19, 20, 21, 22 सालम, किला नम्बर 23/1 मे 0.180 हैक्टेयरकुल 5.7270 हैक्टेयर मे से 1/3 हिस्सा वादी की माता के नामं से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादी द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 3 मे अनुतोष चाहा है कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि उसकी माता की है, माता का स्वर्गवास हो गया है एवम् उतराधिकार के अधिनियम के तहत वादी माता की कृषि भूमि 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस सम्बन्ध मे वाद पत्र की मद संख्या 2 का अवलोकन फरमाया जावे। वादी बलकरण सिंह का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई हिस्सा व हक नही है क्योंकि वादी बलकरण सिंह सुबेग सिंह का पुत्र नही है बल्कि वादी बलकरण सिंह स्व. कृपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का पुत्र है। इस सम्बन्ध मे दिनांक 27–01–1997 को रजिस्टर्ड गोदनामा तहरीर किया गया था। जिसकी प्रति संलग्न है। जिसमे स्पष्ट है कि वादी बलकरण सिंह स्व. कृपाल सिंह का पुत्र है। इस सम्बन्ध मे बलकरण सिंह का आधार कार्ड, वोटर लिस्ट एवं अन्य दस्तावेजात संलग्न प्रार्थना पत्र है, जिससे भी स्पष्ट है कि वादी सुबेग सिंह का पुत्र ना[illegible] है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 29–06–2017 को हुई थी, जिसके [illegible] प्रति पेश की जा रही हैं। उसमे भी स्पष्ट है कि वादी [illegible] माता तेज कौर पत्नी स्व. कृपाल सिंह ने एक उपहार पत्र दिनांक [illegible] को अपनी कृषि भूमि का रजिस्टर्ड अपनी जसप्रीत कौर पत्नी बलकरण सिंह के नाम से रजिस्टर्ड करवाया, पुत्रवधु जिसमे वादी द्वारा सहमति दी गई है कि मेरी माता ते[illegible]कौर ने अपनी कृषि भूमि पुत्रवधु यानि मेरी पत्नी के गिफट की है, उससे मुझे कोई आपत्ति नही है एवं दस्तावेज उपहार पत्र मे भी वादी द्वारा अपने पिता का नाम कृपाल सिह अंकित किया गया है। जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:36:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रति संलग्न है। इससे भी स्पष्ट है कि वादी का पिता कृपाल सिंह है। वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि मे वादी का कोई हक व हिस्सा नही है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की माता के देहान्त के बाद प्रार्थीगण खातेदार हो चुके है। वादी द्वारा श्री मान न्यायालय मे गलत तथ्य अंकित कर वाद पेश किया गया है, इसके लिये अलग से वादी के विरूद्व फौजदारी मुकदमा भी किया जा रहा है। वादी को मुझे प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद कारण उत्पन्न नही होता है, वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से हिट होता है। इसलिये वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैंड से नही आया है एवं सही तथ्यों को छुपाया गया है तथा मौजूदा वाद आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है एवं प्रार्थना पत्र सद्भावी तथ्यों पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय श्री मान को वाद मे दर्ज तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर करना है। इसलिये जवाबदेही की कोई आवश्यकता नही है ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य कानूनी है। जिसका सर्व प्रथम निर्णय किया जाना न्यायहित मे कानूनन आवश्यक है। जिससे कि अनावश्यक मुकदमों के विचारण मे न्यायालय का समय नष्ट न हो । अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि वादी को हम प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद कारण उत्पन्न नही होता, इसलिये वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., 151 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादी ने अपना वाद इस आश्य का प्रस्तुत किया है कि चक 24 जैड तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या– 55/34 मुरब्बा नम्बर– 2 के किला हैक्टेयर, किला नम्बर –19, 20, 21, 22 सालम, किला नम्बर– 23/1 में 0.180 हैक्टेयर कुल 5.7270 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा वादी की माता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी 1/3 हिस्सा का हकदार है। वादी के पिता का नाम सुबेग सिंह है जिसमें वादी का हक व हिस्सा है यह कहना गलत है कि वादी कृपाल सिंह के गोद गया हो इसकी जानकारी वादी को नहीं है इसलिए भी प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या–8 जिस तरह से दर्ज किया गया है स्वीकार नहीं है बल्कि प्रतिवादी का इस स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी को अगर कोई ऐतराज है तो जवाब पेश करे कोई भी ऐतराज है तो वह अपने जवाब दावे में पेश कर सकता है। वादी द्वारा सही दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी को किसी प्रकार का कोई ऐतराज है तो जवाब दावे में पेश कर सकता है। अतिरिक्त कथन– प्रतिवादी जान–बुझ कर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके केस को लम्बा करने के उददेश्य से पेश किया गया है जो खारिज करने योग्य है। वाद दर्ज हो चुका है प्रतिवादीगण पेश हो चुके है । प्रतिवादीगण को अगर कोई भी आपति है तो अपने जवाब दावे में पेश कर सकता है। प्रारम्भिक स्टेज पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत करके अर्ज है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:36:44 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदे[illegible] सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी सुनी गई। वकी[illegible] द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 3 मे अनु[illegible] माता की है, माता का स्वर्गवास हो गया है एवं उत्तराधिकार [illegible] के तहत वादी माता की कृषि भूमि 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। [illegible] बलकरण सिंह का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई हिस्सा व हक नही है क्योंकि वादी बलकरण सिंह सुबेग सिंह का पुत्र नही है बल्कि वादी बलकरण सिंह स्व. कृपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का पुत्र है। इस सम्बन्ध मे दिनांक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

27–01–1997 को रजिस्टर्ड गोदनामा तहरीर किया गया था। जिसमे स्पष्ट है कि वादी बलकरण सिंह स्व. कृपाल सिंह का पुत्र है। इस सम्बन्ध मे बलकरण सिंह का आधार कार्ड, वोटर लिस्ट एवं अन्य दस्तावेजात संलग्न प्रार्थना पत्र है, जिससे भी स्पष्ट है कि वादी सुबेग सिंह का पुत्र ना होकर स्व. कृपाल सिंह का पुत्र है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 29–06–2017 को हुई थी, जिसके वारिसनामा की प्रति पेश की जा रही है। उसमे भी स्पष्ट है कि वादी सुबेग सिंह का पुत्र नही है। वादी की माता तेज कौर पत्नी स्व. कृपाल सिंह ने एक उपहार पत्र दिनांक 23–05–2023 को अपनी कृषि भूमि का रजिस्टर्ड अपनी जसप्रीत कौर पत्नी बलकरण सिंह के नाम से रजिस्टर्ड करवाया, पुत्रवधु जिसमे वादी द्वारा सहमति दी गई है कि मेरी माता तेज कौर ने अपनी कृषि भूमि पुत्रवधु यानि मेरी पत्नी के गिफट की है, उससे मुझे कोई आपत्ति नही है एवं दस्तावेज उपहार पत्र मे भी वादी द्वारा अपने पिता का नाम कृपाल सिह अंकित किया गया है। वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि मे वादी का कोई हक व हिस्सा नही है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की माता के देहान्त के बाद प्रार्थीगण खातेदार हो चुके है। वादी को मुझे प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद कारण उत्पन्न नही होता है, वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी से हिट होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। जवाब बहस में वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि वादी ने अपना वाद इस आश्य का प्रस्तुत किया है कि चक 24 जैड तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या– 55/34 मुरब्बा नम्बर–2 के किला हैक्टेयर, किला नम्बर –19, 20, 21, 22 सालम, किला नम्बर–23/1 में 0.180 हैक्टेयर कुल 5.7270 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा वादी की माता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादी 1/3 हिस्सा का हकदार है। वादी के पिता का नाम सुबेग सिंह है जिसमें वादी का हक व हिस्सा है यह कहना गलत है कि वादी कृपाल सिंह के गोद गया हो इसकी जानकारी वादी को नहीं है इसलिए भी प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है प्रतिवादी को किसी प्रकार का कोई ऐतराज है तो जवाब दावे में पेश कर सकता है। प्रतिवादी जान–बुझ कर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके केस को लम्बा करने के उददेश्य से पेश किया गया है। प्रारम्भिक स्टेज पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सव्यय खारिज फरमाया जावे। वकील वादी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त – 2021(1) RRT 638, [Citation : 2021(2) DNJ (Rev.) 1320], [Citation : 2022(2) DNJ (Rev.) 1324], [Citation : 2022(2) DNJ (Rev.) 1376], [Citation : 2022(1) DNJ (Rev.) 16], [Citation : 2022(1) DNJ (Rev.) 703, 2021(2) RRT 1331, 2022(2) RRT 1059 पेश किये गये।

बहस उभ्यपक्ष पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है। इसमें वाद पत्र में अभिलिखित अभिकथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि :–

Signature Not Verified

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:36:44 IST
Reason: SelfAttested

(ख)– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग)– जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(घ)– जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड़)– जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च)– जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र की मद संख्या 3 मे अनुतोष चाहा है कि वाद ग्रस्त कृषि भूमि उसकी माता की है, माता का स्वर्गवास हो गया है एवम् उतराधिकार के अधिनियम के तहत वादी माता की कृषि भूमि 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद में प्रस्तुत रजिस्टर्ड दस्तावेज खोलानामा (गोदनामा) 27–01–1997 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी बलकरण सिंह को तेजकौर बेवा स्व. कृपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह द्वारा बलकरण सिह को बचपन से गोद लिया जा चुका था जिससे उसके माता पिता तेज कौर, कृपालसिंह हुए। सुबेग सिंह के मृत्यु प्रमाण दिनांकि 21.07.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सुबेग सिंह की मृत्यु दिनांक 21.07.2017 को हो चुकी है जिससे वादी बलकरण सिंह को बलवीर कौर पत्नी सुबेगसिंह की भूमि में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। बलकरण सिंह का आधार कार्ड, वोटर लिस्ट पर वादी बलकरण सिंह के पिता का नाम सुबेग सिंह का ना होकर स्व. कृपाल सिंह का नाम अंकित है। तेज कौर पत्नी स्व. कृपाल सिंह द्वारा जरिए उपहार पत्र दिनांक 23–05–2023 के अपनी कृषि भूमि अपनी पुत्रवधु जसप्रीत कौर पत्नी बलकरण सिंह के नाम से रजिस्टर्ड करवाया गया है जिसमे वादी बलकरण सिंह द्वारा सहमति दी गई है कि मेरी माता तेज कौर ने अपनी कृषि भूमि पुत्रवधु यानि मेरी पत्नी के उपहार की है। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज खोलानामा (गोदनामा) 27–01–1997 के पश्चात् से वादी बलकरण सिंह स्व. कृपाल सिंह का पुत्र है न की सुबेग सिंह है। ऐसी स्थिति में वादी बलवीर कौर पत्नी सुबेग सिंह की कृषि भूमि में से किसी प्रकार से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी बलकरण सिंह को वाद हेतुक प्राप्त नहीं होता है एवं न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य पाता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:36:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner